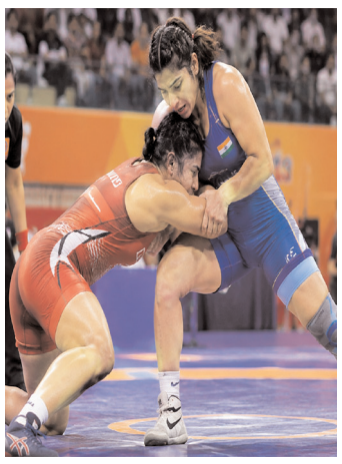


अग्र भारत

नई सोच का अखबार

www.agrabharat.in

दैनिक हिन्दी समाचार पत्र



वर्षः 19 | अंकः 134 | आगरा, मंगलवार 03 नवम्बर 2026 | पृष्ठः 8 मूल्यः 2.00 रू.

दिल्ली में दिवाली से पहले दमघोंटू हुई हवा, एक्यूआई 350 के करीब

नई दिल्ली,(ए)। दिल्ली में दिवाली के त्योहारी सीजन से पहले ही हवा की सेहत लगातार बिगड़ती जा रही है और राजधानी में सांस लेना दूभर हो गया है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के ताजा आंकड़ों के मुताबिक, दिल्ली का वायु गुणवत्ता सूचकांक यानी एक्यूआई तेजी से बढ़ते हुए 350 के करीब पहुंच गया है। सुबह के समय राजधानी के कई प्रमुख इलाकों में हवा की स्थिति बहुत खराब श्रेणी में दर्ज की गई, जिससे लोगों को आंखों में जलन और सांस लेने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। राष्ट्रीय राजधानी के अक्षरधाम मंदिर और आईटीओ के आसपास के इलाकों में सुबह एयर क्वालिटी इंडेक्स 349 तक पहुंच गया, जबकि इंडिया गेट और



जनपथ के पास एक्यूआई 335 दर्ज किया गया। प्रदूषण से निपटने के लिए दिल्ली-एनसीआर में कड़े प्रतिबंधों और नई पाबंदियों के लागू होने के बावजूद स्थिति चिंताजनक बनी हुई है। बारिश के कारण दो दिनों तक लोगों को प्रदूषण से थोड़ी राहत जरूर मिली थी, लेकिन इसके तुरंत बाद हवा का रुख फिर बिगड़ गया।मौसम में ठंडक और सुबह छाई धुंध के कारण प्रदूषक कण हवा में ही ठहर गए हैं। तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई है, जिससे नवंबर की शुरुआत हल्की ठंड और धुंध के साथ हुई है। मौसम विभाग का अनुमान है कि अगले कुछ दिनों तक तापमान में कोई बड़ा बदलाव नहीं आएगा, लेकिन हवा की रफ्तार कम रहने के कारण प्रदूषण का यह स्तर बहुत खराब श्रेणी में ही बना रह सकता है। विशेषज्ञ आने वाले दिनों में स्थिति के और गंभीर होने की आशंका जता रहे हैं।

प्रदर्शनकारियों से मिलते ज्ञानेश पर प्रतिनिधियों की सूची नहीं दे पाए



नई दिल्ली(ए)। केंद्रीय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार और प्रदर्शनकारियों की मुलाकात को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि मुख्य चुनाव आयुक्त ने प्रदर्शनकारियों के प्रतिनिधिमंडल से मिलने की पेशकश की थी, लेकिन प्रदर्शनकारी अपने प्रतिनिधियों की सूची जमा करने में पूरी तरह नाकाम रहे। दिल्ली में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण को लेकर आयोजित एक विचार-गोष्ठी को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री ने विपक्षी दलों के इंडिया ब्लॉक द्वारा हाल ही में आयोजित मॉक पार्लियामेंट और प्रतीकात्मक महाभियोग को लोकतांत्रिक व्यवस्था का उपहास करार दिया।

विपक्षी गठबंधन ने एक दिन पहले मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ प्रतीकात्मक महाभियोग चलाया था और चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लगाए थे। इस कार्यक्रम में केंद्रीय कानून और न्याय तथा संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने अपने संबोधन के दौरान एक विशेष गीत भी गाया। उन्होंने गीत के माध्यम से यह दावा किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सत्ता में बने रहेंगे और आने वाले समय में सिर्फ वे लोग ही बाहर होंगे जिन्होंने अपनी राजनीतिक साख और विश्वसनीयता खो दी है। उन्होंने कार्यक्रम में मौजूद लोगों को भी अपने साथ यह गीत गाने के लिए प्रेरित किया।

अपने संबोधन को आगे बढ़ाते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त प्रदर्शनकारियों से बातचीत करने और मिलने के लिए पूरी तरह तैयार थे, बशर्ते वे अपनी बैठक का समय पहले से तय करते और अपने प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों की सूची सौंपते। उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्षी दल सिर्फ हंगामा करना चाहते हैं और वे कभी भी अपने प्रतिनिधियों की आधिकारिक सूची उपलब्ध नहीं करा पाए। अर्जुन राम मेघवाल ने यह भी दावा किया कि यही प्रदर्शनकारी अपनी शिकायतों को लेकर देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से भी मिले थे, लेकिन जब राष्ट्रपति ने उनके द्वारा लगाए गए आरोपों के समर्थन में ठोस सबूत या दस्तावेज मांगे, तो वे कोई भी साक्ष्य उपलब्ध कराने में विफल रहे। केंद्रीय मंत्री के इस बयान के बाद राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं तेज हो गई हैं, क्योंकि एक तरफ विपक्ष चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली पर लगातार सवाल उठा रहा है, तो वहीं दूसरी ओर सरकार ने विपक्ष के दावों और प्रदर्शनों को बेबुनियाद करार दिया है।

सब कुछ होगा उजागरः सीट-दर-सीट खुल रही वोट चोरी की पोल

टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने अधिकारियों पर लगाए गंभीर आरोप

कोलकाता(ए)। तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) की फायरब्रांड सांसद महुआ मोइत्रा ने पश्चिम बंगाल में मतदाता सूची से नाम हटाए जाने के मुद्दे पर चुनाव आयोग और उसके शीर्ष अधिकारियों पर तीखे हमले किए हैं। सोशल मीडिया पर मुखर तेवर अपनाते हुए महुआ ने दावा किया है कि बंगाल में कथित तौर पर हो रही वोट चोरी की परतें अब एक-एक सीट पर खुलकर सामने आ रही हैं। इससे पहले, उन्होंने मुख्य चुनाव आयुक्त (सीईसी) ज्ञानेश कुमार के खिलाफ दिल्ली के पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने में औपचारिक शिकायत दर्ज कराते हुए आपराधिक मामला दर्ज करने की मांग की है।

महुआ मोइत्रा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर पश्चिम बंगाल में बड़े पैमाने पर मतदाताओं के नाम सूची से हटाए जाने की प्रक्रिया पर कड़े सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने सुब्रत गुप्ता पर निशाना साधते हुए कहा कि अब यह अजीब दावा किया जा रहा है कि उन्हें मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सीईओ) कार्यालय की ओर से वोटर्स के नाम काटने के लिए दायर की गई 16 लाख अपीलों की कोई जानकारी ही नहीं थी। इसके साथ ही उन्होंने पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव मनोज अग्रवाल की कार्यप्रणाली पर भी सवालिया निशान लगाते हुए कहा कि यह प्रशासन को स्पष्ट करना होगा कि यह



सब किसके इशारे और आदेश पर चल रहा था। इससे पहले दिल्ली पहुंचकर महुआ ने पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ लिखित शिकायत दी थी। उन्होंने मीडिया रिपोर्ट्स का हवाला देते हुए आरोप लगाया कि दो अन्य चुनाव आयुक्तों, सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी ने पिछले 10 महीनों के दौरान आयोग के कई फैसलों और आदेशों पर कम से कम 14 बार औपचारिक असहमति दर्ज कराई थी। इन विवादित फैसलों में मतदाता सूची से नाम हटाने, जोड़ने, बहाल करने और रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया में बदलाव से जुड़े अहम मामले शामिल थे।

टीएमसी सांसद ने कड़ा ऐतराज जताते हुए कहा कि मुख्य चुनाव आयुक्त को अपने सह-आयुक्तों की स्पष्ट असहमति के बावजूद एकतरफा फैसले लेने का कोई कानूनी अधिकार नहीं है। उन्होंने आरोप लगाया कि ज्ञानेश कुमार ने आयोग के नाम पर ऐसे आदेश जारी किए जिन्हें अन्य सदस्यों की मंजूरी प्राप्त नहीं थी। साथ ही, उन्होंने मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान में सरकारी धन के भारी दुरुपयोग का अंदेशा जताते हुए इस पूरी प्रक्रिया में शामिल अधिकारियों की भूमिका की उच्चस्तरीय जांच की मांग की है। अपनी शिकायत में महुआ ने मुख्य निर्वाचन आयुक्त एवं अन्य निर्वाचन आयुक्त अधिनियम, 2023 की धारा 16 के तहत मिलने वाली कानूनी छूट का भी जिक्र किया। उन्होंने दलील दी कि आधिकारिक कामकाज के दौरान किए गए कार्यों के लिए कानूनी संरक्षण का यह मतलब बिल्कुल नहीं है कि मनमाने और एकतरफा फैसलों के मामलों में पुलिस प्राथमिकी दर्ज करने या जांच करने से ही इंकार कर दे। उन्होंने कहा कि यदि मुख्य चुनाव आयुक्त ने अपने सहयोगियों की आपत्तियों को दरकिनार कर अकेले फैसले लिए हैं, तो उन्हें कानूनी कवच के आड़ में बचाया नहीं जा सकता।

पूर्व सीजेआई के बेटों को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटकाः आयकर विभाग फिर से खंगालेगा कमाई और संपत्ति का हिसाब

नई दिल्ली(ए)। देश के पूर्व मुख्य न्यायाधीश के बेटों को उच्चतम न्यायालय से एक महत्वपूर्ण मामले में बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व सीजेआई वाई.के. सभरवाल के बेटों के खिलाफ आयकर विभाग की जांच को पूरी तरह से वैध ठहराते हुए उनकी अपील खारिज कर दी है। इसके साथ ही शीर्ष अदालत ने दिल्ली हाईकोर्ट के उस पुराने आदेश को भी बरकरार रखा है, जिसमें आयकर विभाग को उनकी आय और वित्तीय लेन-देन का नए सिरे से मूल्यांकन करने की अनुमति दी गई थी।

मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस के विनोद चंद्रन की पीठ ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि आयकर विभाग द्वारा 31 मार्च 2015 को जारी किया गया नोटिस पूरी तरह कानूनी दायरे में था। अदालत ने कहा कि यह नोटिस कोई मनगढ़ंत कार्रवाई नहीं थी, बल्कि यह ठोस तथ्यों और महानिदेशक (आयकर जांच) यूनिट नोएडा की विस्तृत रिपोर्ट पर पूरी तरह आधारित था। कोर्ट के इस फैसले के बाद अब आयकर विभाग के लिए सभरवाल बंधुओं की कमाई और संपत्तियों की दोबारा जांच का रास्ता साफ हो गया है। यह पूरा मामला वित्तीय लेन-देन और दो कंपनियों–पवन इम्पेक्स (प्राइवेट) लिमिटेड और एसवीआईआईटी सॉफ्टवेयर (प्राइवेट) लिमिटेड–के शेयरों के मूल्यांकन से जुड़ा हुआ है। आरोप है कि इन कंपनियों के शेयरों का मूल्य उनकी वास्तविक जमीन और इमारतों की लागत की तुलना में अत्यधिक बढ़ाकर दिखाया गया था। चेतन सभरवाल और उनके भाई नितिन सभरवाल ने अन्य शेयरधारकों के साथ मिलकर जीवाईएस रियल एस्टेट प्राइवेट लिमिटेड के साथ एक बड़ा शेयर बिक्री समझौता किया था। इस सौदे के तहत पवन इम्पेक्स के शेयर 195 करोड़ रुपये और एसवीआईआईटी सॉफ्टवेयर के शेयर 60 करोड़ रुपये में बेचे गए थे, जिसमें प्रत्येक शेयरधारक को तयशुदा राशि का एक चौथाई हिस्सा मिलना था।

आयकर विभाग की जांच इकाई ने जब इस पूरे सौदे की गहराई से पड़ताल की, तो यह खुलासा हुआ कि सभरवाल भाइयों ने अप्रैल 2010 में कोर्ट की नीलामी के जरिए दिल्ली के सिकंदरा रोड स्थित एक बेशकीमती संपत्ति का आधा हिस्सा खरीदा था। जांच में यह बात सामने आई कि इस संपत्ति को खरीदने के लिए किया गया निवेश इन्हीं कंपनियों के शेयरों की भारी-भरकम बिक्री से प्राप्त रकम के जरिए किया गया था। चूंकि यह मामला वित्तीय गड़बड़ियों और कर मूल्यांकन से जुड़ा था, इसलिए आयकर विभाग ने निर्धारित समयसीमा बीतने के बाद आयकर अधिनियम की धारा 148 के तहत दोबारा जांच के लिए यह नोटिस जारी किया था। पूर्व सीजेआई के बेटों ने इस नोटिस को कानूनी चुनौती दी थी, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट द्वारा इसे वैध ठहराए जाने से आयकर विभाग को उनकी संपत्ति और वित्तीय लेन-देन की नए सिरे से जांच करने की पूरी कानूनी अनुमति मिल गई है।

बिहार में दो निर्दलीय एमएलसी के भाजपा में शामिल होने पर मचा घमासान

पटना,(ए)। बिहार की सियासत में विधान परिषद (एमएलसी) चुनाव के नतीजे सामने आने के बाद से ही राजनीतिक पारा लगातार चढ़ा हुआ है। इस बीच, तिरहुत स्नातक सीट से जीत दर्ज करने वाले बंशीधर ब्रजवासी और सारण शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से जीतने वाले राहुल राज द्वारा भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण करने की घोषणा ने सूबे के राजनीतिक गलियारों में भूचाल ला दिया है। इस घटनाक्रम के सामने आते ही विपक्षी दल बुरी तरह भड़क गए हैं और सत्तारूढ़ दल पर जनादेश की चोरी का गंभीर आरोप लगाया है।

शनिवार को दोनों नवनिर्वाचित निर्दलीय एमएलसी ने पार्टी कार्यालय में भाजपा विधायकों की एक बैठक में पहुंचकर भगवा दल में शामिल होने की औपचारिक घोषणा की। इस दौरान दोनों नेताओं ने पार्टी की सदस्यता पर्चियां हाथ में लेकर तस्वीरें भी खिंचवाई।

इससे पहले बिहार भाजपा के प्रमुख संजय सरावगी ने भी सोशल मीडिया के माध्यम से दोनों नेताओं के पार्टी में शामिल होने की बात साझा की थी। सारण शिक्षक सीट से जीते राहुल राज भाजपा के बागी नेता माने जाते हैं, जो यह सीट जनता दल यूनाइटेड को आवंटित किए जाने के बाद बतौर निर्दलीय मैदान में उतरे थे और जीत हासिल की थी। वहीं, बंशीधर ब्रजवासी ने पिछले सप्ताह हुए चुनाव में लगातार दूसरी बार तिरहुत स्नातक सीट पर अपनी जीत का सिलसिला बरकरार रखा था।

चुनाव जीतने के कुछ ही दिनों के भीतर उनके इस तरह पाला बदलने से विरोधी दलों को बड़ा राजनीतिक मुद्दा मिल गया है। विपक्षी पार्टियों ने इस पूरे घटनाक्रम को संविधान की 10वीं अनुसूची यानी दलबदल विरोधी कानून का खुला उल्लंघन करार दिया है। कानून के जानकारों और विपक्षी दलों का तर्क है कि कोई भी निर्दलीय विधायक या एमएलसी चुनाव जीतने के बाद किसी राजनीतिक दल की औपचारिक सदस्यता ग्रहण नहीं कर सकता है। यदि कोई निर्दलीय जनप्रतिनिधि ऐसा करता है, तो संविधान के नियमों के तहत उसकी विधायकी या सदस्यता रद्द की जा सकती है। इसी नियम और संवैधानिक प्रावधानों का हवाला देते हुए राष्ट्रीय जनता और जन सुराज पार्टी ने आक्रामक रुख अख्तियार कर लिया है। दोनों दलों ने न केवल दोनों नवनिर्वाचित एमएलसी की सदस्यता तत्काल प्रभाव से रद्द करने की पुरजोर मांग की है।

1 जनवरी 2027 से विमान कंपनियां खुद तय करेंगी टिकट के दाम



नई दिल्ली,(ए)। भारत में हवाई सफर करने वाले यात्रियों के लिए एक बड़ा बदलाव होने जा रहा है। सरकार की ओर से जारी नए नोटिफिकेशन के मुताबिक, आने वाले समय में विमान किराए को लेकर सरकार का सीधा दखल खत्म हो जाएगा। एयरलाइंस कंपनियां अपनी संचालन लागत के आधार पर खुद टिकट के दाम तय करने के लिए स्वतंत्र होंगी। सरकार के इस नए नियम के तहत 1 जनवरी 2027 से एयरलाइंस पर किराया बढ़ाने या घटाने को लेकर कोई सरकारी पाबंदी नहीं रहेगी, हालांकि किसी आपात या विशेष परिस्थिति में जनहित को ध्यान में रखते हुए सरकार न्यूनतम या अधिकतम सीमा तय करने जैसे मामलों में हस्तक्षेप कर सकती है।

नए नियमों के अनुसार, विमानन कंपनियों को अपने किराए की पूरी पारदर्शिता बरतनी होगी। एयरलाइंस को बेस फेयर, विभिन्न टैक्स, फीस, कैंसिलेशन चार्ज और रिफंड से जुड़ी तमाम जानकारियां स्पष्ट रूप से साझा करनी होंगी। किराए में होने वाले बदलावों और उसका पूरा ब्रेकअप डीजीसीए (डाइरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन) को देने के साथ-साथ कंपनियों को अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर भी इसे अनिवार्य रूप से अपलोड करना होगा ताकि यात्रियों को टिकट खरीदते समय पूरी स्पष्टता मिल सके।

इस नीतिगत बदलाव के बीच विमान ईंधन यानी एटीएफ (एविशन टरबाइन फ्यूल) की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी का दौर भी जारी है। हाल ही में एटीएफ की कीमतों में प्रति लीटर और बढ़ोतरी दर्ज की गई है, जिसके चलते यह लगातार चौथा महीना है जब विमान ईंधन महंगा हुआ है। विमान कंपनियों के कुल परिचालन खर्च में अकेले एटीएफ की हिस्सेदारी करीब 40 प्रतिशत तक होती है। ईंधन के दाम लगातार बढ़ने से एयरलाइंस कंपनियों की ऑपरेशनल कॉस्ट पर भारी दबाव पड़ रहा है, जिसका सीधा असर आने वाले दिनों में हवाई यात्रा के खर्च पर पड़ सकता है। जानकारों का मानना है कि किराए की व्यवस्था निजी कंपनियों के हाथ में जाने और ईंधन महंगा होने से यात्रियों को अपनी जेबें और अधिक ढीली करनी पड़ सकती हैं।

बृजभूषण के जन्मदिन पर बेटी शालिनी ने नोएडा में दिया हेलीपैड गिफ्ट



नोएडा(ए)। उत्तर प्रदेश के कद्दावर नेता और गोंडा की कैसरगंज लोकसभा सीट से पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह को उनके जन्मदिन से ठीक पहले एक बेहद अनोखा और शानदार तोहफा मिला है। यह खास गिफ्ट उन्हें किसी और ने नहीं, बल्कि उनकी बेटी शालिनी सिंह ने दिया है। नोएडा में रह रहीं शालिनी ने अपने पिता के जन्मदिन को यादगार बनाने के लिए उन्हें नोएडा में ही एक आलीशान हेलीपैड तोहफे के रूप में सौंपा है। बेटी की इस अनूठी पहल से अभिभूत होकर पूर्व सांसद भावुक हो गए और उन्होंने तुरंत इस नए हेलीपैड का विधिवत रूप से उद्घाटन भी कर दिया।

आगामी 8 जनवरी को बृजभूषण शरण सिंह का जन्मदिन है। इस मौके को खास बनाने के लिए उनकी बेटी शालिनी ने यह सरप्राइज प्लान तैयार किया था। हालांकि इस हेलीपैड की सटीक कीमत की आधिकारिक पुष्टि तो नहीं हुई है, लेकिन विभिन्न रिपोर्ट्स के अनुसार इसकी लागत लाखों में है। शालिनी सिंह की ससुराल बिहार में है, लेकिन वह फिलहाल नोएडा में निवास करती हैं। वह नोएडा सिटीजन फोरम की कार्यकारी अध्यक्ष होने के साथ-साथ भारतीय जनता पार्टी की एक सक्रिय नेत्री भी हैं और सामाजिक व राजनीतिक कार्यों में लगातार सक्रिय रहती हैं। बेटी द्वारा दिए गए इस तोहफे की चर्चा इस समय राजनीतिक गलियारों में जोरों पर है। अपनी लग्जरी जीवनशैली और शौक के लिए पहचाने जाने वाले बृजभूषण शरण सिंह के पास पहले से ही कई महंगी गाड़ियां और बेहतरीन घोड़े हैं। इसके अलावा उनके बेड़े में तीन अत्याधुनिक हेलीकॉप्टर भी शामिल हैं, जिनमें एक सफेद, एक काला और एक भगवा रंग का हेलीकॉप्टर है। पिछले साल ही उन्होंने आर-66 मॉडल का एक नया भगवा रंग का हेलीकॉप्टर खरीदा था, जिसकी कीमत करीब सात से आठ करोड़ रुपये आंकी गई थी।

अब बेटी शालिनी द्वारा नोएडा में उपहार में दिए गए इस नए हेलीपैड पर उनका काले रंग का हेलीकॉप्टर हमेशा खड़ा रहेगा। इससे न केवल पूर्व सांसद को सफर में सहूलियत मिलेगी, बल्कि शालिनी को भी अपनी ससुराल और परिवार के बीच आने-जाने में आसानी होगी। बृजभूषण शरण सिंह अपने इन निजी हेलीकॉप्टरों का इस्तेमाल अक्सर दूर-दराज के क्षेत्रों और दूसरे राज्यों में आयोजित होने वाले कार्यक्रमों में शामिल होने के लिए करते हैं। जन्मदिन से पहले मिले इस सरप्राइज गिफ्ट ने परिवार और समर्थकों के बीच खासी सुर्खियां बटोरी हैं।

दिल्ली के प्रदर्शनों में पुलिस की कार्रवाई देख को-एक्टर प्रकाश राज की पत्नी बुरी तरह डर गई

प्रदर्शन के लिए गईं पोनी वर्मा ने वहां हुए लाठीचार्ज और पेलेट गन का इस्तेमाल देखा

नई दिल्ली,(ए)। अभिनेता प्रकाश राज जो जून और जुलाई में हुए छात्र आंदोलनों में सक्रिय रूप से शामिल हुए थे। उन्होंने बेंगलुरु, दिल्ली और 'चलो संसद' मार्च जैसे कई विरोध प्रदर्शनों में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई थी। हाल ही में एक बातचीत में प्रकाश राज ने बताया कि कैसे उनकी पत्नी पोनी वर्मा, जो एक कोरियोग्राफर हैं, इन विरोध प्रदर्शनों के दौरान पुलिस की कार्रवाई देखकर डर गई थीं।

उन्होंने प्रकाश राज से प्रदर्शन स्थल के बजाय किसी होटल में रुकने का



अनुरोध भी किया था, लेकिन उन्होंने इसे नहीं माना। पोनी वर्मा ने उन लम्हों को याद करते हुए बताया कि जब वह पहले दिन विरोध प्रदर्शन के लिए गईं और मैंने वहां हुए लाठीचार्ज और पेलेट गन का इस्तेमाल देखा, तो मैं अंदर तक हिल गई और बहुत डर गई। मैं बस भगवान से उनकी सलामती के लिए प्रार्थना कर रही थी। उन्होंने आगे कहा कि भले ही उनकी उम्र 60 साल है, लेकिन वहां मौजूद युवा छात्रों को देखकर उनके मन में गहरी चिंता पैदा हुई। पोनी ने कहा कि इन बच्चों की मांओं का क्या? कम से कम उन मांओं को यह जानकर हिम्मत मिल रही होगी कि प्रकाश राज उनके बच्चों के साथ बैठे हैं। यह बहुत, बहुत हिम्मत वाली बात है।